आतंकवाद अधिनियम 2000 के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए अधिकार पत्र

आपके पुलिस स्टेशन में हिरासत में होने पर यह पत्रक आपको स्कॉटलैंड के कानून के तहत आपके अधिकारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। यह दस्तावेज़ आपकी हिरासत के दौरान आपके मुख्य अधिकारों के बारे में बताता है। यह पत्रक कोई कानूनी रूप से दी जाने वाली सलाह नहीं है और यह आपको आपके सभी अधिकारों के बारे में नहीं बताता है। आपको अपनी स्वतंत्र कानूनी सलाह के बारे में पता करना चाहिए।

कृपया इस जानकारी को जितनी जल्दी हो सके पढ़ें। इससे आपको पुलिस स्टेशन में रहते हुए कोई भी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। यदि आप इसकी आसानी से पढ़ी जाने वाली कॉपी या इसका अनुवाद चाहते हैं, तो कृपया इस पत्रक में जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है उसे समझाने के लिए पुलिस से कहें।

अपने अधिकारों को याद रखें:

- आपको यह जानने का अधिकार है कि पुलिस ने आपको हिरासत में क्यों रखा है।
- आपको वकील को यह बताने का अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। यह बिल्कुल निःशुल्क है।
- आपको यह अधिकार है कि आपकी भलाई चाहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को यह बताया जाए कि आप पुलिस की हिरासत में हैं। उदाहरण के लिए, यह आपके परिवार का कोई सदस्य, आपका देखभालकर्ता या आपका कोई मित्र हो सकता है।
- आपके पास चुप रहने का अधिकार है। आपको पुलिस के द्वारा पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको अपना नाम, पता, जन्म तिथि, आपका जन्म कहां हुआ और आपकी राष्ट्रीयता के बारे में बताना होगा।
- पुलिस द्वारा आपसे प्रश्न पूछने से पहले आपको बिना कोई देर किए अकेले में किसी वकील से बात करने का अधिकार है। जब पुलिस आपसे प्रश्न पूछ रही हो, तो भी आप किसी भी समय किसी वकील से बात कर सकते हैं।
- यदि आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है या 18 वर्ष से कम है और आप एक अनिवार्य पर्यवेक्षण आदेश के अधीन हैं, तो आपको पुलिस स्टेशन में अपने माता-पिता या अभिभावक से मिलने का भी अधिकार है।
- आपके पास किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता को तत्काल प्राप्त करने का अधिकार है।
- आपको पुलिस द्वारा आपके साथ किए गए व्यवहार के बारे में शिकायत करने का अधिकार है।

आपका अधिकार

कृपया ध्यान रखें: असाधारण परिस्थितियों में, पुलिस को इनमें से कुछ अधिकारों तक आपकी पहुंच में देरी करने या रोक लगाने का अधिकार है। उदाहरण के लिए, यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुँचाने से रोकने के लिए उन्हें आपसे बात करने की आवश्यकता है। **इस परिस्थिति में आपके मौन बने रहने का अधिकार शामिल नहीं होता है।**

1. पुलिस हिरासत में रखे गए लोगों के लिए जानकारी

- **आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में लिया गया है, इसके बारे में जानना**

पुलिस को आपको यह जानकारी प्रदान करनी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है और आप पर आतंकवाद को अंजाम देने, उसकी तैयारी करने या किसी को उकसाने में शामिल होने का संदेह है।

पुलिस स्टेशन में, पुलिस को आपको यह बताना होगा कि वे ऐसा क्यों मानते हैं कि आपको हिरासत में लेने की आवश्यकता है।

इससे पहले कि आपसे आतंकवाद में आपके संदिग्ध रूप से शामिल होने के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाए, पुलिस को आपको या आपके वकील को इस बारे में पर्याप्त जानकारी देनी होगी कि उन्हें क्या लगता है कि आपने क्या किया है ताकि आप पुलिस जांच को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बिना अपना बचाव कर सकें।

- **मौन रहने का अधिकार**

आपको पुलिस द्वारा पूछे गए ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है कि उनके अनुसार आपने क्या किया है।

आप जो कुछ भी कहते हैं उसे लिख लिया जाएगा या रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और यदि आपका मामला अदालत में ले जाया जाता है, तो मुकदमे में सबूत के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

पुलिस द्वारा आपसे ये विवरण मांगे जाने पर आपको अपना नाम और पता, जन्म तिथि, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता बतानी होगी।

- **किसी वकील को यह बताना कि आप पुलिस स्टेशन में हैं**

आप पुलिस से यह कह सकते हैं कि किसी वकील को बताया जाये कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। यह आपका अपना वकील हो सकता है या यदि आप किसी वकील को नहीं जानते हैं, तो आपके द्वारा मांगे जाने पर बुलाया गया वकील हो सकता है। पुलिस जल्द से जल्द किसी वकील से संपर्क करने की व्यवस्था करेगी। यह बिल्कुल नि:शुल्क है।

आपकी भलाई चाहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को यह बताना कि आप पुलिस स्टेशन में हैं।

आप पुलिस से किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क करने के लिए कह सकते हैं ताकि उन्हें सूचित किया जा सके कि आप पुलिस स्टेशन में हैं। वे आपके परिवार में से कोई, आपका साथी, आपकी देखभाल करने वाला, आपका मित्र या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है जिसे आप जानते हैं। जितनी जल्दी हो सके वे आपके लिए किसी से संपर्क करेंगे।

यदि आपकी आयु 16 वर्ष से कम है (या 18 वर्ष से कम है और अनिवार्य पर्यवेक्षण आदेश के अधीन है)

- पुलिस को आपके माता-पिता या अभिभावक को इस बात की जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए कि आप पुलिस स्टेशन में हैं।
- आपके माता-पिता या अभिभावक पुलिस स्टेशन आकर आपकी सहायता कर सकते हैं।

- **आपकी सहायता के लिए एक दुभाषिया की सहायता लेना**

यदि आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं या समझते नहीं हैं, तो पुलिस आपकी मदद के लिए आपकी भाषा बोलने वाले किसी व्यक्ति (दुभाषिया) की व्यवस्था करेगी। यह बिल्कुल निःशुल्क है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप समझ सकें कि पुलिस स्टेशन में क्या कहा जा रहा है।

यदि आप बहरे हैं या आपको स्पष्ट रूप से संवाद करने में परेशानी हो रही है, तो पुलिस आपकी सहायता के लिए किसी की व्यवस्था करेगी। यह एक ब्रिटिश सांकेतिक भाषा दुभाषिया या कोई अन्य उपयुक्त पेशेवर हो सकता है। यह बिल्कुल निःशुल्क है।

- **यदि आप ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं**

यदि आप ब्रिटिश नागरिक नहीं हैं, तो आप पुलिस से अपने उच्चायोग, दूतावास या वाणिज्य दूतावास से संपर्क करने के लिए कह सकते हैं, ताकि उन्हें बताया जा सके कि आप कहां हैं और पुलिस स्टेशन में क्यों हैं। वे आपसे अकेले में मिल भी सकते हैं और आपसे मिलने के लिए एक वकील की व्यवस्था भी कर सकते हैं।

- **यदि आप पर किसी प्रकार का कोई आरोप लगाया गया तो क्या होगा?**

यदि आप पर किसी प्रकार के अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो आपको हिरासत से रिहा किया जा सकता है या आपको पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है और अगले कार्य दिवस पर अदालत में ले जाया जा सकता है। या यदि आप एक निश्चित तारीख पर अदालत जाने के लिए सहमत होते हैं, तो आपको रिहा किया जा सकता है।

- **दस्तावेज़ों तक पहुंच**

यदि आपका मामला अदालत में जाता है, तो इस मामले के किसी सबूत का एक नोट आपको या आपके वकील को दिया जाएगा। इससे आपको या आपके वकील को आपका बचाव तैयार करने में सहायता मिलेगी।

यदि आप अंग्रेजी नहीं समझते हैं, तो आपके पास संबंधित जानकारी का अनुवाद कराने का अधिकार है।

- **चिकित्सीय सहायता तक पहुंच**

पुलिस आपसे आपके स्वास्थ्य और आपके हाल-चाल के बारे में प्रश्न पूछेगी। यदि आप किसी चिकित्सीय स्थिति के अंतर्गत आते हैं या आप कोई दवा ले रहे हैं, तो इस बारे में पुलिस को सूचित करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी भी प्रकार की नशीली दवा या शराब की लत है या आप खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, तो पुलिस को यह बताना भी ज़रूरी है।

पुलिस किसी चिकित्सक से आपकी जांच करने के लिए कह सकती है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हिरासत में रखे जाने के दौरान आपकी उचित देखभाल की जा रही है। यदि आपको लगता है कि आपको किसी चिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता है, तो पुलिस को बताएं।

यदि आप बीमार पड़ते हैं, तो आपको चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

- **खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ**

आपके अनुरोध पर आपके लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप चार घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहते हैं, तो आपको भोजन दिया जाएगा। यदि आपकी कोई आहार संबंधी आवश्यकता या धार्मिक आवश्यकता है, तो जितनी जल्दी हो सके पुलिस को बताएं।

- **शिकायत करना**

यदि आप हिरासत में रखे जाने पर शिकायत करना चाहते हैं, तो इस बारे में किसी इंस्पेक्टर या उच्च पद के किसी व्यक्ति से बात करें। अगर आप रिहा होने के बाद शिकायत करना चाहते हैं, तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या 101 पर कॉल कर सकते हैं। आप किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से शिकायत करने के लिए भी कह सकते हैं, बशर्ते कि आपने उन्हें अपनी लिखित सहमति प्रदान कर दी हो। यह आपके माता-पिता, आपका कोई मित्र, साथी या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं।

यदि आपकी गिरफ्तारी के दौरान या पुलिस हिरासत में रखे जाने के दौरान किसी पुलिस अधिकारी ने आपको चोट पहुंचाई है या घायल किया है, तो आपको पुलिस स्कॉटलैंड व्यावसायिक मानक विभाग से इसकी शिकायत करनी चाहिए।

यदि आपको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है (कृपया ध्यान दें, यह केवल सेवा के बारे में जानकारी है और यह कोई अधिकार नहीं है):

जब आप पुलिस स्टेशन में हों, तो क्या हो रहा है, यह समझने के लिए आपको सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यह सहायता किसी सहायता करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की जा सकती है जिसे एक उपयुक्त वयस्क कहा जाता है। यदि आप किसी मानसिक विकार से पीड़ित हैं या कुछ सीखने में असमर्थ हैं, तो यह आप पर लागू हो सकता है। यदि आपको लगता है कि आपको इस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो इस बारे में पुलिस से बात करें।

यदि पुलिस को लगता है कि आपको एक उपयुक्त वयस्क द्वारा सहायता की आवश्यकता है, तो वे उपस्थित होने के लिए किसी को कहेंगे, भले ही आपने किसी की सहायता की मांग न की हो।

2. जिन लोगों से पुलिस पूछताछ करेगी उनके लिए जानकारी

- **आपकी सहायता के लिए एक वकील की सहायता लेना**

यदि आप किसी वकील से बात करना चाहते हैं, तो पुलिस को बताएं। पुलिस आपके लिए जल्द से जल्द किसी वकील से संपर्क करेगी।

एक वकील की भूमिका होती है कि वह आपके अधिकारों की रक्षा करे और आपको कानून के बारे में सलाह दे।

आप अपने परिचित किसी वकील या ऑन-कॉल वकील से बात करना चुन सकते हैं। यह वकील स्वतंत्र होता है और पुलिस के लिए काम नहीं करता है।

वकील आपको बताएगा कि क्या वे आपको निःशुल्क सलाह दे सकते हैं या आपको उनसे कोई सलाह प्राप्त करने के लिए भुगतान करना होगा। यदि आपको भुगतान करना है, तो वे बताएंगे कि इसकी लागत कितनी होगी और आप इसके लिए किस प्रकार से भुगतान कर सकते हैं। पुलिस आपके वकील को भुगतान नहीं करेगी या पुलिस इस बारे में बात नहीं करेगी कि आपके वकील को भुगतान कैसे किया जाता है।

यदि सुरक्षा कारणों से किसी मामले में या अत्यावश्यकता के रूप में आपसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, तो पुलिस द्वारा आपसे प्रश्न पूछने से पहले आपको एक वकील के साथ अकेले में बातचीत करने की अनुमति है।

आप किसी भी समय किसी वकील से बात करने के बारे में अपना विचार बदल सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके पुलिस को बताएं और वे आपके लिए एक वकील से संपर्क करेंगे।

यदि वकील उनके कहने पर भी पुलिस स्टेशन नहीं आता है, या आपको वकील से दोबारा बात करने की ज़रूरत है, तो पुलिस से वकील से दोबारा संपर्क करने के लिए कहें।

यदि किन्हीं सुरक्षा कारणों से वकील के उपस्थित होने से पहले आपसे तत्काल प्रश्न पूछने की आवश्यकता न हो, तो पुलिस द्वारा आपसे प्रश्न पूछे जाने पर आपको अपने साथ वकील को कमरे में रखने का अधिकार है।

- **पूछताछ के लिए आपको कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है?**

पुलिस आप पर किसी अपराध का आरोप लगाए बिना पूछताछ के लिए आपको 48 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। कभी-कभी एक वरिष्ठ पुलिस कार्यालय को यह देखने के लिए आपके मामले की जांच करनी पड़ती है कि क्या आपको अभी भी हिरासत में लिया जाना चाहिए। इसे समीक्षा करना कहा जाता है। जब कोई अदालत इसकी अनुमति देती है, तो केवल तभी आपको 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। अदालत बिना किसी आरोप के आपकी हिरासत की अवधि को आपकी गिरफ़्तारी से अधिकतम 14 दिनों तक बढ़ा सकती है। इन परिस्थितियों में आपको निम्नलिखित जानकारी दी जानी चाहिए:

  - एक लिखित दस्तावेज़ कि आपकी हिरासत को बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया है;
  - आवेदन किए जाने का समय;
  - वह समय जब अदालत में इस आवेदन पर सुनवाई होनी है; और
  - वह कारण जिससे हिरासत की अवधि को बढ़ाने के लिए कहा गया है।

हर बार जब आपकी हिरासत की अवधि को बढ़ाने या आगे बढ़ाने के लिए कोई आवेदन किया जाता है, तो आपको (और आपके कानूनी प्रतिनिधि को) एक नोटिस प्रदान किया जाना चाहिए।

यदि आप स्वस्थ स्थिति में न हों, तो आपको और आपके वकील को इस निर्णय के बारे में अपनी बात कहने का अधिकार है। एक वकील आपको इसके बारे में सलाह दे सकता है।

- **स्वतंत्र अभिरक्षा आगंतुक**

समुदाय के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें पुलिस स्टेशनों तक पहुंचने की अनुमति होती है। उन्हें स्वतंत्र अभिरक्षा आगंतुकों के रूप में जाना जाता है और वे यह सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक रूप से काम करते हैं कि हिरासत में लिए गए लोगों के साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें अपने अधिकारों तक पहुंच प्राप्त है।

आपको किसी स्वतंत्र अभिरक्षा आगंतुक से मिलने या उन्हें आपसे मिलने के लिए बुलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन कोई आगंतुक आपसे मिलने के लिए कह सकता है। यदि हिरासत में रहने के दौरान कोई स्वतंत्र अभिरक्षा आगंतुक आपसे मिलने आता है, तो वे पुलिस से इस बात की जांच करने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे कि आपके कल्याण और अधिकारों की रक्षा की गई है या नहीं। यह आपकी इच्छा पर है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं या नहीं।